International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925(Online), Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 03(I), July- September, 2025, pp. 84-88

भारत में बाल श्रम, एक संक्षिप्त परिचय

श्री सत्यनारायण खींची*

सहआचार्य (ई.ए.एफ.एम.), राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक, राजस्थान।

*Corresponding Author: satyanarayan_khinchi81@yahoo.in

Citation: सत्यनारायण खींची. (2025). भारत में बाल श्रम, एक संक्षिप्त परिचय. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 07(03(I)), 84–88.

सार

किसी भी देश में सबसे सुरक्षित वातावरण के हकदार उस देश के बच्चे होते है। बच्चों को एक ऐसे वातावरण या परिवेश में बड़े होने का अधिकार या जरूरत है जिसमें वे एक स्वतंत्र गरिमामय पूर्ण जीवन जीने योग्य बन सकें। बच्चों के शिक्षा व प्रशिक्षण के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए ताकि वे अपने और देश के विकास के भागीदार बन सके, शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे जिम्मेदार व जवाबदेह नागरिक बन सकते हैं। बाल श्रम निषेध और विनियमन 1986 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बचों को किसी भी कार्य अथवा प्रक्रिया में काम करने के लिए बाध्य करना बाल श्रम हैं। प्स्व् की रिपोर्ट के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर वर्तमान समय में भारत के 01 करोड़ से अधिक बच्चे जिनकी आयु 05 से 14 वर्ष के मध्य है, किसी न किसी बाल श्रम के दुष्कर्म पीड़ित हैं। जिसमें से 80 लाख से अधिक बच्चे ग्रामीण क्षेत्र और 20 लाख से अधिक बच्चे शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कार्यक्षेत्र के अनुसार सबसे अधिक बच्चे कृषि/खेती के कार्य करते हैं। बाल श्रम की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है जो देश की बाल श्रम संख्या का 21 लाख से अधिक (21.5ः) है। इसके पश्चात् बिहार (10 लाख), राजस्थान (08 लाख) तथा महाराष्ट्र (07 लाख) में है।

शब्दकोशः *वातावरण, बालश्रम, शिक्षा, विकास।*

प्रस्तावना

वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 08 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 07TH स्थान हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किमी हैं। देश की जनगणना वर्ष 2011 में की गई थीं। उस समय भारत की कुल आबादी लगभग 121 करोड़ थी।

उस समय जनसंख्या के अनुसार 62.32 करोड़ पुरूष और 58.76 करोड़ महिलाऐं थीं। न्दपजमक छंजपवदे के द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध वेबसाईट Worldometer के गणना के मुताबिक 2023 में भारत की कुल आबादी लगभग 138 करोड़ है जो कि दुनिया के जनसंख्या का 17.7ः हैं। इसी के कारण भारत आबादी के दृष्टि में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हैं। वही न्छ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है भारत की जनसंख्या 2024 में लगभग 01.45 अरब तक पहुंच सकती हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार 05–14 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों की संख्या 1.26 करोड़ है जबकि कुल बाल जनसंख्या 25.2 करोड़ हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 2004–05 में

* *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, कामकाजी बच्चों की अनुमानित संख्या 90.75 लाख थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 05–14 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों की संख्या ओर घटकर 43.53 लाख रह गई हैं। यह बाल श्रमिकों में सरकार द्वारा किये प्रयासों के परिणाम हैं।

बालश्रम अधिनियम 1986 में 14 वर्ष कम आयु के बालक को बालक माना गया हैं। मोरिया सिल्वा के अनुसार बालक से अभिप्राय उस आयु से हैं जिसके तहत् उसे मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए संरक्षण आवश्यक हैं। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का बालक जो श्रम करता हैं, वह बालश्रम की परिधि में आता हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते है कि वे बालक जिनकी आयु 05–14 वर्ष हैं और ऐसा कोई कार्य करते है जो उनके शारीरिक मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास में बाधक है, वह बालश्रमिक हैं। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि बालश्रम केवल भारत या राजस्थान की समस्या नहीं है अपितु एवं वैश्विक समस्या हैं। विकसित देशों में भी बाल श्रम कायम है किन्तु पिछड़े एवं विकासशील देशों में यह समस्या कहीं अधिक हैं। वर्ष 2019 के अनुसार दुनियाभर में 25 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहें हैं। 15 करोड़ बच्चे एशिया में, 08 करोड़ अफ्रीका में और 1.8 करोड़ बालश्रमिक लैटिन अमेरिका में कार्यरत हैं।

2019 के सरकारी आंकड़ो के मुताबिक 02 करोड़ बच्चे भारत में बालश्रमिक है गैर सरकारी संगठन में यह आंकड़ा 06 करोड़ के करीब है। भारत में बालश्रम का 90ः भाग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। कुल बालश्रम का 79ः कृषि एवं कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न हैं। कृषि के अलावा भारत में माचिस, पटाखा उद्योग, कालीन उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, कॉच उद्योग, ताला उद्योग, नगीना उद्योग, बीड़ी एवं पत्थर की खदानों में बालश्रम कायम हैं।

भारत गौरवशाली संस्कृति का धनी होने के बावजूद भी भारत सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से विकासशील देश हैं। देश कमजोर आधारभूत अवसरंचना, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बाल विवाह, अकाल, कृषि में पिछड़ापन, उच्च शिक्षा में कमी एवं मातृ मृत्यु दर, कन्या भ्रूण, हत्या आदि के कारण ही भारत में बालश्रम बढ़ रहा हैं।

UNICEF के अनुसार 2011 की जनगणना के आंकड़ो के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ है, जिसमें 56 लाख लड़के 45 लाख लड़किया हैं। दुनियाभर में कुल मिलाकर 15.20 करोड़ बच्चे जिसमें 8.8 करोड़ लड़के तथा 6.4 करोड़ लड़कियों का बाल मजदूर होने का अनुमान लगाया हैं अर्थात दुनियाभर में प्रत्येक 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल मजदूर हैं।

शोध के उद्देश्य

- भारत में बाल श्रम की स्थिति का अध्ययन।
- भारत में बालश्रम को समाप्त करने के लिए प्रयास करना और बाल श्रम के लिए जागरूकता लाना।

अनुसंधान क्रियाविधिः– इस शोध अध्ययन मूल रूप से वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का हैं। इसमें उपयोग किया डेटा इस शोध की आवश्यकता के अनुसार विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्त्रोतो लेख भारत की जनगणना के आंकड़े, बाल संरक्षण आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों एवं राष्ट्रीय स्तर की पत्र–पत्रिकाओं से लिया गया हैं।

भारत में बाल श्रम के तथ्य एवं आँकड़े

- भारत में कुल बाल–जनसंख्या (5–14 वर्ष)ः 6 मिलियन है (जनगणना 2011)।
- भारत में कार्यरत बच्चेः 1 मिलियन (कुल बाल आबादी का 3.9ः) "मुख्य श्रमिक" या "सीमांत श्रमिक"।
- भारत में स्कूल न जाने वाले बच्चेः 7 मिलियन से अधिक।
- 2001 से 2011 के दौरान भारत में बाल श्रम में 6 मिलियन की कमी आयी।
- यह गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखाई दे रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो छोटी नौकरियों में बाल श्रमिकों की बढ़ती माँग का संकेत देता है।

बाल श्रम के कारण

- **निर्धनता**: भारत में इस समस्या का सबसे बड़ा कारण निर्धनता है। गरीब परिवारों के बच्चों को प्रायः अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए कार्य करना पड़ता है। वे कारखानों में, कृषि में या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच का अभाव**: भारत में कई बच्चों को अच्छे स्कूलों तक पहुँच नहीं है। जब बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच नहीं होती है, तो उनके स्कूल जाने की बजाय कार्य करने की संभावना अधिक हो जाती है।
- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का विकास**: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था छोटे व्यवसायों और स्व–रोजगार करने वाले श्रमिकों से बनी है। असंगठित क्षेत्रो में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन बहुत कम होने या आकस्मिक दुर्घटना के कारण परिवार के बच्चो को बालश्रम को मजबूरन करना पड़ता है।
- **जागरुकता का अभाव**: अधिकाँश माता–पिता इस समस्या के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक दुष्परिणामों से अनभिज्ञ हैं।
- **सशस्त्र संघर्ष**: सशस्त्र संघर्ष बाल श्रम को बढ़ावा दे सकता है। जब युद्ध होता है, तो बच्चों को प्रायः अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए काम पर भेजा जाता है।
- **भेदभाव**: भेदभाव बाल श्रम को बढ़ावा दे सकता है। जब बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच से वंचित किया जाता है।
- **प्रवास**: प्रवास बाल श्रम को बढ़ावा दे सकता है। जब बच्चे अपने परिवारों के साथ नए देशों में जाते हैं, तो वे प्रायः शोषण के शिकार हो सकते हैं।

ऐसे कई अन्य कारक हैं जो इस समस्या को बढ़ावा देते हैं, जैसे सामाजिक मानदंड, सांस्कृतिक विश्वास आदि।

बाल श्रम के दुष्परिणाम

इसके परिणामों का बच्चों, समाज और समग्र रूप से राष्ट्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

बाल परिणाम

- **स्वास्थ्य संबंधी जोखिम**: इससे बच्चों को हानिकारक कार्य–परिस्थितियों, शारीरिक, मानसिक शोषण और लंबे समय तक श्रम करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप चोटें, बीमारियाँ और विकास संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।
- **शिक्षा से वंचित**: कार्यरत बच्चों को प्रायः शिक्षा तक पहुँच से वंचित कर दिया जाता है, जिससे बुनियादी साक्षरता के साथ ही उनके भविष्य के अवसर भी सीमित हो जाते हैं और निर्धनता के चक्र में फंसे रहते है।
- **अवरुद्ध विकास**: यह बालकावस्था के सामान्य विकास को बाधित करता है, बच्चों को खेलने के समय, सामाजिक संपर्क और भावनात्मक कल्याण से वंचित करता है, उनके शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास में बाधा पहुँचाता है।

सामाजिक परिणाम

- **मानवाधिकारों को कमजोर करना**: यह बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण के अधिकार से वंचित करता है।
- **निर्धनता और असमानता**: यह परिवारों को निर्धनता के चक्र में फंसाए रखता है, क्योंकि बच्चों की कमाई घरेलू आय में न्यूनतम योगदान देती है और उनकी दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाओं में बाधा बनती है।
- **सामाजिक विखंडन**: यह परिवार और सामुदायिक गतिशीलता को बाधित करता है क्योंकि बच्चों को उचित देखभाल और शिक्षा प्राप्त करने की जगह कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे सामाजिक संरचनाएँ टूटती जाती हैं और अंतरपीढ़ीगत निर्धनता को बढ़ावा मिलता है।

राष्ट्रीय परिणाम

- **आर्थिक निहितार्थः** यह बच्चों को शिक्षा से वंचित करता है, जिससे कार्यबल अकुशल होता है, उत्पादकता भी कम हो जाती है एवं आर्थिक उन्नति के अवसर सीमित हो जाते हैं।
- **मानव पूँजी का नुकसानः** बाल श्रम के कारण संभावित मानव पूँजी का नुकसान होता है क्योंकि बच्चे शिक्षा एवं कौशल विकास से वंचित रह जाते हैं। इससे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की देश की क्षमता कम हो जाती है।
- **सामाजिक कल्याण का बोझः** शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणामों से राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण लागत में वृद्धि होती है। सरकारों को इन मुद्दों के समाधान के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से धन कम करके इन मुद्दों के लिए संसाधन आवंटित करने पड़ते हैं।

भारत में बाल श्रम की समस्या का समाधान

भारत में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- **विधायी ढांचे को मजबूत बनाना**रू बच्चों के लिए व्यापक सुरक्षा और अपराधियों के लिए सख्त दंड सुनिश्चित करने के लिए बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनों को कड़ाई से लागू करना तथा संशोधन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच**रू सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, ड्रॉपआउट दरों को कम करना और स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **निर्धनता उन्मूलन**रू निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धनता में जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही माता–पिता के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देकर बाल श्रम के मूल कारणों से निपटा जा सकता हैं।
- **जागरूकता एवं संवेदनशीलता**रू बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास पर बाल श्रम के हानिकारक प्रभावों के बारे में माता–पिता, समुदायों और नियोक्ताओं को अवगत कराते हुए व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किये जाने चाहिए।
- **पुनर्वास एवं सामाजिक संरक्षण**रू बाल श्रम से निकाले गए बच्चों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और मनोवैज्ञानिक सहायता तक पहुँच सहित व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करने चाहिए। बच्चों को श्रम बल में जाने से रोकने के लिए कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ लागू करनी चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**रू बाल श्रम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विशेषज्ञता, तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और यूनिसेफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय एवं सहयोग करना चाहिए।
- **स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना**रू बाल श्रम को रोकने में माता–पिता, शिक्षकों और समुदाय के नेताओं सहित स्थानीय समुदायों को शामिल करना चाहिए। उन्हें बाल श्रम के मामलों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाना तथा पुनर्वास और पुनर्एकीकरण प्रयासों के लिए सहायता प्रदान करना।

यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि बाल श्रम को संबोधित करना एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जिसमें स्थायी परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयासों, सहयोग और सभी हितधारकों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

बाल श्रमः संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार, किसी भी प्रकार का बलात् श्रम निषिद्ध है।
- अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई खतरनाक काम करने के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

- अनुच्छेद 39 के अनुसार ष्पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है[6]।
- इसी तरह बाल श्रम अधिनियम (निषेध और विनियमन), 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में काम करने से रोकता है।
- मनरेगा 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और मध्याह्न भोजन योजना जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों ने ग्रामीण परिवारों के लिये गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार (अकुशल मजदूरों हेतु) के साथ–साथ बच्चों के स्कूलों में रहने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- इसके अलावा वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन संख्या 138 और 182 के अनुसमर्थन के साथ, भारत सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों सहित बाल श्रम के उन्मूलन के लिये अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

निष्कर्ष

बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए बने होते हैं कार्यस्थलों पर कार्य करने के लिए नहीं। बाल श्रम बच्चों को स्कूल जाने के अधिकार से वंचित करता हैं और गरीबी को पीढ़ीगत बनाता हैं।

बच्चों के कल्याण, समाज की प्रगति और राष्ट्र के सतत विकास के लिए बाल श्रम को संबोधित करना और समाप्त करना महत्त्वपूर्ण है। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए सशक्त प्रयासों, व्यापक नीतियों और विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
2. विकिपीडिया
3. बाल श्रमिकों के मानवाधिकार, डॉ. सर्वेश कुमार पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
4. असंगठित व्यवसाय क्षेत्र में बालश्रम समस्या एवं निदान, डॉ. जगदीश प्रसाद मीना, आर पब्लिकेशनस्।
5. भारत में बालश्रम के कारण दूर करने के उपाय, शोभा कुमारी, बिहार, भारत, International journal of Sociology and Humanities.
6. बालश्रम एक चुनौती, सुशीला देवी यादव International journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science.
7. इन्ग्रिद श्रीनाथ, Executive Director Child line India Foundation.
8. Nextias.com
9. Drishtiis.com
10. Unicef.org
11. Civiclexicom.blog.Com
12. राजस्थान सुजस, सूचना, एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर (मार्च 2020 से दिसम्बर 2024)
13. Tech news hindi, samanya gyan online GK, drishti
14. मार्च 2020 से अप्रेल 2025 तक विभिन्न समाचार पत्रों जैसे इकॉनोमिक्स टाईम्स, टाईम्स ऑफ इण्डिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, प्रभा साक्षी, अमर उजाला, इत्यादि में प्रकाशित पर्यटन से सम्बन्धित विशेष लेख, टिप्पणीयों एवं सम्पादकीय से एकत्रित की गई सामग्री।
15. मार्च 2020 से जून 2025 तक प्रसारित विभिन्न न्यूज चौनलों जैसे एनडीटीवी, बीबीसी, आज तक में प्रसारित न्यूज।
16. महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।

❑❑❑